(वाद संख्या–**1975/13**)

17.12.2019

परिवादी, शैलेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त सहायक तकनीकी पदाधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना उपस्थित हैं।

कृषि निदेशालय, बिहार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत मामला, परिवादी के कृषि निदेशालय के अन्तर्गत कनीय अनुसंधान सहायक के पद पर दिनांक–16.12.1980 को प्रथम नियुक्ति की तिथि से रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ दिये जाने हेतु लाया गया है।

परिवादी का कथन है कि उसे सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि (16.12.1980) के स्थान पर बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–1 (शष्य) में योगदान की तिथि (दिनांक–01.04.1981) से गणना करते हुए तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्हें दिनांक–01.04.1981 से सेवानिवृत्ति की तिथि (फरवरी, 2011) तक 30 वर्षो की अर्हक सेवा पूर्ण नहीं हो पायी है।

अपने प्रतिवेदन में उप–निदेशक (प्रशासन), कृषि निदेशालय, बिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि MACP/प्रोन्नति की देयता हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक–12.02.2018 की बैठक में परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार के दावों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा में परिवादी के योगदान की तिथि के 30 वर्ष के अन्दर ही परिवादी के सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण उन्हें तृतीय MACP का लाभ नहीं दिया गया है।**

परिवादी की ओर से बिहार सरकार के वित्त विभाग के रूपांतरित ACP योजना, 2010 से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या–7566, 14.07. 2010 की प्रति प्रस्तुत की गयी उपरोक्त योजना के परिशिष्ट–1 में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने के शर्तो और प्रकिया का उल्लेख है, जिसके कंडिका–9 में यह विहित है :–

रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ ''नियमित सेवा'' नियमित आधार पर सीधी भर्ती वाले ग्रेड के पद पर योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी चाहे वह सीधी भर्त्ती के माध्यम से हुई हो या समायोजन/पुनर्नियोजन के माध्यम से, नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति के पूर्व तदर्थ/संविदा के आधार पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी। किन्तु नए विभाग में नियमित नियुक्ति के

पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद पर दूसरे सरकारी विभाग की पिछली लगातार नियमित सेवा, जो टूट रहित हो उसे भी रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ (न कि नियमित प्रोन्नतियों के प्रयोजनार्थ) अर्हक नियमित सेवा के रूप में गिनी जाएगी। किन्तु ऐसे मामले में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ देने पर तबतक विचार नहीं किया जाएगा जबतक कि नए पद पर परिवीक्षा अवधि को संतोषप्रद ढंग से पूरा न कर लिया जाए।

परिवादी द्वारा आज सुनवाई के क्रम में बताया गया कि उनके द्वारा कृषि निदेशालय, बिहार, पटना में, अपने प्रथम नियुक्ति की तिथि–16.12.1980 से समायोजन के उपरान्त, नये पद पर योगदान के बाद, अपने सेवाकाल में पूर्व पद पर की गयी सेवा की गणना हेतु नियंत्रणाधीन विभाग से नियमानुसार कोई अनुरोध नहीं किया गया था और न ही नियंत्रणाधीन विभाग द्वारा प्रथम नियुक्ति की तिथि से, उसकी नियमित सेवा किये जाने के संबंध में कोई आदेश ही निर्गत किया गया है।

अब, जबकि परिवादी के सेवाकाल में उनकी पूर्व सेवा की गणना के संबंध में कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें नियमानुसार तृतीय MACP का लाभ अनुमान्य प्रतीत नहीं होता है। परिवादी को सूझाव दिया जाता है कि अपने पूर्व सेवा की गणना के संबंध में बिहार कृषि निदेशालय, बिहार पटना से अनुरोध करें। परिवादी की पूर्व सेवा की गणना के संबंध में निर्गत आदेश के उपरान्त ही उन्हें तृतीय MACP का लाभ अनुमान्य होगा।

आयोग स्तर पर उक्त के संबंध में कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त निर्देश के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी तथा निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक